

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 8516

दिनांक 28.08.2023

निमित्त:- अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विषय :- शाहबाद से राजपुर सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/30083/2022 (4.00ha)

संदर्भ:- उप वन संरक्षक, FCA अरण्य भवन जयपुर का पत्र क्रमांक 7304 दिनांक 23.082023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है की उच्च कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के पार्ट-1 में आक्षेप लगाये गये है

अतः बिन्दु संख्या -5, 6,7, 8, 9,11 की पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जासके।

(संलग्न पत्र की छाया प्रति)

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां



पर्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सारधानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एक 14()2017/बास रोड्स/एफसीए/प्रमुख/ 7304

दिनांक 23/08/2023

मुख्य वन संरक्षक
(वीटा)

विषय - Diversion of 4 ha Construction of shahbad to rajpur road.

(Proposal No - FPRJ ROAD 3008V/2017)

संदर्भ - आपका पत्रांक 3937 दिनांक 26.07.2023

भावदीय

उपरोक्त विषयान्वयित आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरोक्त निम्नांकित दिन्दुओं पर सुचनाएं/स्पष्टीकरण अभी भी दिया जाना अपेक्षित है -

1. NPV rates are not taken as per crop density
2. As per part 11, rare and endangered flora and fauna found in the area but not mention in site inspection report. Although mitigate measures for the species have not been taken.
3. CA scheme is provided for 9252348 for 4 ha which is more than prescribed model while estimate provide for 2313087 only. 32.19 ha non forest land has been provided under different road proposals in different patches. It would be better to make scheme patch wise and charge accordingly.
4. DCF has not been mention legal status of proposed forest land and justification for recommendation.
5. As per available KML files, partial area of NFL comes under notified forest area.
6. The proposed forest land falling inside the forest block Santora and Rajpur C but copy of notification of Shahbad is uploaded. Justified it.
7. Alternative routes are not taken properly. KML file of the alternative routes is to be provided.
8. Employment details are fictitious.
9. The proposal is falling inside the conservation reserve. Please attach copy of approval of Chief Wild Life Warden.
10. DCF has taken 6 feet wall along the road which is not as per wildlife management. CCF must reconsider and comment accordingly.
11. Project cost is 300 lacs but as per imposed levies by DCF is more than 300 lacs. How the project is feasible? Project cost should be revised.

उक्त दिन्दुओं की धारणा अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में मिलवाने का श्रम कराये।
आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एक 14()2017/बास रोड्स/एफसीए/प्रमुख/ 7305-06

दिनांक 23/08/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप वन संरक्षक कारा।
2. Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर